2023/106

फर्द अहकाम

(नियम 26)

न्यायालय जिला कलक्टर, सिरोही

प्रार्थी/अपीलांट	**बनाम**	**अप्रार्थी/रेस्पोडेन्ट**
श्री प्रेमाराम पुत्र श्री गमनाजी कलबी निवासी हस्तिनापुर कालन्द्री तहसील व जिला सिरोही।		सरकार जरिये लोक सूचना अधिकारी मुख्य कार्यकारी अधिकारी जिला परिषद सिरोही

किस्म मुकदमा– **अपील अन्तर्गत धारा 19 आर.टी.आई. एक्ट 2005** मुकदमा नं. 15 वर्ष 2023

दिनांक हुक्म	हुक्म या कार्यवाही मय इनिशियल जज	नम्बर व तारीख जा इस हुक्म की तामिल में जारी हुए
22.06.2023	अपीलांट ने यह प्रथम अपील रेस्पोडेन्ट के विरूद्ध सूचना का अधिकार अधिनियम 2005 की धारा 6 के तहत उनके द्वारा मांगी गई सूचना उपलब्ध नही कराने से धारा 19 के तहत प्रस्तुत की गई । अपीलांट की अपील दर्ज रजिस्टर की जावे । अपीलांट द्वारा अपनी अपील में निवेदन किया गया हैं कि उसके द्वारा लोक सूचना अधिकारी मुख्य कार्यकारी अधिकारी जिला परिषद सिरोही को दिनांक 13.04.2023, को एक प्रार्थना पत्र देकर निवेदन किया है कि कार्यालय जिला परिषद सिरोही के पत्रांक 1331 दिनांक 22.02.2023 के जरिए अपीलांट के अरठ पर विद्युत कनेक्शन कटवाने बाबत निर्देश दिए गए है, उक्त संबंध की सम्पूर्ण पत्रावली मय आदेशिका एवं जांच रिपोर्ट सहित समस्त दस्तावेज की प्रमाणित प्रति एवं उक्त आदेश बाबत् कोई न्यायिक निर्णय या न्यायिक आदेश हो या कोई कानूनी अधिकार हो उसकी समस्त दस्तावेजों सहित प्रमाणित प्रति एवं अपीलांट की तरह कालन्द्री क्षेत्र में कितने कुंए/बोरवेल पर विद्युत सम्बन्ध विच्छेद के निर्देश/आदेश दिए गए हो उनकी सम्पूर्ण संख्या सहित पूर्ण पत्रावली के प्रमाणित प्रति से सम्बन्धित सूचना लोक सूचना अधिकारी से दिलाये जाने का निवेदन किया गया था। किन्तु निर्धारित समयावधि में उसे चाही गई सूचना उपलब्ध नही कराई गई हैं। मैने पत्रावली का अवलोकन किया तो पाया गया कि अपीलांट द्वारा निर्धारित शुल्क रूपये 10 जमा करा दिये है । अपीलांट द्वारा लोक सूचना अधिकारी मुख्य कार्यकारी अधिकारी जिला परिषद सिरोही को दिनांक 13.04.2023, को एक प्रार्थना पत्र देकर निवेदन किया है कि कार्यालय जिला परिषद सिरोही के पत्रांक 1331 दिनांक 22.02.2023 के जरिए अपीलांट के अरठ पर विद्युत कनेक्शन कटवाने बाबत निर्देश दिए गए है, उक्त संबंध की सम्पूर्ण पत्रावली मय आदेशिका एवं जांच रिपोर्ट सहित समस्त दस्तावेज की प्रमाणित प्रति एवं उक्त आदेश बाबत् कोई न्यायिक निर्णय या न्यायिक आदेश हो या कोई कानूनी अधिकार हो उसकी समस्त दस्तावेजों सहित प्रमाणित प्रति एवं अपीलांट की तरह कालन्द्री क्षेत्र में कितने कुंए/बोरवेल पर विद्युत सम्बन्ध विच्छेद के निर्देश/आदेश दिए गए हो उनकी सम्पूर्ण संख्या सहित पूर्ण पत्रावली के प्रमाणित प्रति से सम्बन्धित सूचना उपलब्ध करवाई जावे। पत्रावली के अवलोकन से यह स्पष्ट है कि उपरोक्त सूचना लोक सूचना अधिकारी मुख्य कार्यकारी अधिकारी जिला परिषद सिरोही से सम्बन्धित है। चूंकि लोक सूचना अधि[illegible] कार्यकारी अधिकारी जिला परिषद सिरोही के प्रथम अपील अधिकारी जि[illegible] कलक्टर सिरोही नहीं है। अतः ऐसी स्थिति में अपीलांट की अपील खारिज की जाती है। [illegible] इजलास सुनाया गया। पत्रावली फैसल शुमार होकर [illegible] से कम[illegible] (डॉ. भँवर लाल) **जिला कलक्टर, सिरोही**	

Signature Not Verified
Digitally signed by Bhanwar Lal
Date: 2024.01.06 15:35:34 IST
Reason: SelfAttested

Scanned with CamScanner